्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

ु0न0 151/2022 रजू दिनांकः– 14.08.2022

पीठासीन अधिकारीः– सुनीता मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1. किशन पुत्र हरदयाल
2. मानसिह पुत्र शिम्भू
3. मोहनलाल पुत्र शिम्भू
4. योगेन्द्र पुत्र हरदयाल
5. रामकेश पुत्र हरदयाल
6. रोहिताश पुत्र हरदयाल
7. संतो पत्नि हरदयाल

समस्त जातियान जोगी निवासीयान बीजलवाडा तहसील टोडाभीम।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार टोडाभीम।
2. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैक शाखा टोडाभीम जरिये शाखा प्रबन्धक।

प्रतिवादीगण

दावा बावत इन्द्राज दुरूस्ती नक्शा ट्रेस इस्तकरारहक

उपस्थितिः– श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट वादीगण

पेरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम

निर्णय

25.06.2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम भण्डारी दरूणी की आराजी ख0न0 219/0.45, 220/0.36, 240/2462/0.13, 247/1.86, ॰9/2575/0.15, 679/2.89, 679/2319/0.42 कुल किता 7 कुल रकवा 6.26 है0 मे ॰दीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। राजस्व रिकार्ड मे सुनील देवी पुत्री शिवदयाल, ॰ानी देवी पत्नि शिवदयाल ने उनके हिस्से मे दर्ज खातेदारी हिस्सा 1/4 को वादी न0 6 ॰हिताश को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 06.05.2022 को विक्रय कर दिया है, जो विधिवत ॰ोबद्व हुआ है, नामांतकरण भी खुल चुका है। इस प्रकार इस भूमि मे वादी अलग से 1/4 ॰से का खातेदार काश्तकार है, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 तक मे गत ख0न0 ॰/2 से दर्शाये गये है, हाल ख0न0 679/2307 रकवा 1.01 है0 राजस्थान सरकार के नाम ॰ है। तथा मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–2062 तक मे गत ख0न0 296 दर्शाया गया है।

वादीगण की गत ख0न0 296/2 रकवा 24 बीधा 11 [illegible] खातेदारी प्रबन्ध से पूर्व जमाबन्दी सम्वत 2037–40 मे वादीगण [illegible] ॰ासत मे वादीगण के नाम हो गई है, वादीगण ने [illegible] से जरिये ॰स्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.08.1985 से क्रय की है। जिसकी खातेदारी दर्ज हो गई, ॰ीगण इस भूमि को 37 वर्षो से आज तक बहैसियत मालिक काबिज आ [illegible] है, भू प्रबन्ध ॰ाग से पूर्व गत ख0न0 296 बडा रकवा था, तथा वादीगण रकवा 24 बीधा 11 बिस्वा को

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:58:32 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

करते चले आ रहे है। तहसील टोडाभीम मे भूप्रबन्ध के कार्य के दौरान गत खसरा न0 टा नंबर कायम दिये है, लेकिन भूप्रबन्ध ने सहवन से गलती से वादीगण की हाल ख0न0 /2307 रकवा 1.01 है0 को राजकीय भूमि अर्थात गै0मु0पहाड दर्ज कर दिया है। जबकि भूमि वादीगण के नाम खातेदारी मे दर्ज होनी चाहिये थी, तथा इसी भूमि पर पिछले 38 से काबिज है। तथा यही गत खसरा न0 296/2 की ही भूमि है, तथा वादीगण के नाम खसरा न0 679/2319 रकवा 0.42 है0, ख0न0 679/0.59 है0 की खातेदारी वादीगण के गलत दर्ज कर दी है, यह भूमि राजकीय दर्ज होनी चाहिये थी, इसके स्थान पर वादीगण नाम हाल ख0न0 679/2307/1.01 है0 की खातेदारी दर्ज होनी है, तथा किस्म 0पहाड के स्थान पर बारानी दर्ज होनी है।

बॉका दिनांक 03.08.2022 का है कि वादीगण पटवारी हल्का के पास अपने र्ड ट्रेस जमाबन्दी की जानकारी करने गये तब जाकर तहसीलदारजी टोडाभीम से दुरूस्ती । को कहा तो वे इन्कार हो गये, और न्यायालय मे दुरूस्ती का दावा पेश करने को कहा, लेये यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादी न0 1 बावत इस्तकरारहक, इन्द्राज स्ती जमाबन्दी ट्रेस डिक्री किया जाकर ख0न0 679/2307 रकवा 1.01 है0 का किशन सा 1/20, मानसिह हिस्सा 1/4, मोहनलाल हिस्सा 1/4, योगेन्द्र हिस्सा 1/20, रामकेश सा 1/20, राहिताश हिस्सा 1/20 तथा 1/4, संतो हिस्सा 1/20 हिस्से का खातेदार तकार घोषित किया जावे तथा किस्म गै0मु0पहाड के स्थान पर किस्म बारानी दर्ज किया वे, तथा वादीगण के नाम खातेदारी मे दर्ज ख0न0 679/2319 रकवा 0.42 है0 ख0न0 679 वा 0.59 है0 को राजकीय भूमि दर्ज की जावे, तथा ख0न0 679/2307 रकवा 1.01 हे0 को ख0न0 297/2 को ही भूमि मानी जावे, तथा तहसीलदार टोडाभीम को राजस्व रिकार्ड ाबन्दी मे अमल किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी न0 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही गई। प्रतिवादी न0 1 पैरोकार सरकार ने जबाब पेश किया कि ग्राम भण्डारी की आराजी न0 219/0.45, 220/0.36, 240/2462/0.13, 247/1.86, 359/2575/0.15, 679/2. 679/2319/0.42 कुल किता 7 कुल रकवा 6.26 है0 वादीगणो किशन वगै0 के नाम दर्ज कार्ड है। उक्त ख0न0 सम्वत 2043–62 मे साबिक ख0न0 296/2 मिन. रकवा 24 बीधा 16 स्वा से कायम किये है। ख0न0 679/2307 रकवा 1.01 है0 राजस्थान सरकार के नाम दर्ज कार्ड है। जो मिलान क्षेत्रफल अनुसार 296/1 रकवा 4 बीधा से कायम किया गया है।

साबिक ख0न0 296/2 का रकवा 24 बीधा 11 बिस्वा न होकर मुताबिक कार्ड के 24 बीधा 16 बिस्वा साबिक नम्बर दर्ज रिकार्ड है। हाल ख0न0 679/2307 रकवा 01 है0 जिसका साबिक न0 296/1 रकवा 4 बीधा अंकित है मौके पर उक्त भूमि समतल मे है पहाड नही है।

साबिक ख0न0 296/1 व 296/2 अलग–अलग दर्ज है जबकि सा. नम्बरा नक्शा सीट ग्राम भण्डारी कला व खुर्द सम्वत 1983 मे 296/1 296/ दोनो खसरा 296/1, अलग–अलग अंकित नही है साबिक ख0न0 296 ही अंकित है ... ख0न0 की कोई तरमीम नही है। ख0न0 679/2307 रकवा 1.01 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:38:32 IST
Reason: Self Attested

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला–गंगापुर सिटी

थान सरकार के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त नम्बरान साबिक ख0न0 296/1 रकवा 4 गै0मु0पहाड सलग्न जमाबन्दी मे दर्ज रिकार्ड है।

वादी वकील व पैरोकार सरकार की [illegible] सुनी गई। वादी वकील ने वादपत्र ार्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया [illegible] वादपत्र मे वर्णित आराजीयात कुल ा 7 कुल रकवा 6.26 है0 मे वादीगण खातेदार [illegible] दर्ज रिकार्ड है। राजस्व रिकार्ड [illegible] दर्ज खातेदारी ुनील देवी पुत्री शिवदयाल, विश[illegible] विक्रय दिनांक 06.05.2022 को सा 1/4 को वादी न0 6 रोहिताश को ज[illegible] मिलान क्षेत्रफल सम्वत ्रय कर दिया है, जिसका राजस्व रिक[illegible] ख0न0 679/2307 रकवा 1.01 43–62 तक मे गत ख0न0 296/2 से दर्शाये गये है, हाल ख0न0 679/2307 रकवा 1.01 राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है। तथा मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–2062 तक मे गत ्0न0 296 दर्शाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:58:32 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण की गत ख0न0 296/2 रकवा 24 बीधा 11 बिस्वा की खातेदारी –प्रबन्ध से पूर्व जमाबन्दी सम्वत 2037–40 मे वादीगण की बुजुर्ग के नाम रही है। तथा ारासत मे वादीगण के नाम हो गई है, वादीगण ने यह भूमि पूर्व खातेदारान से जरिये ्जिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.08.1985 से क्रय की है। जिसकी खातेदारी दर्ज हो गई, ादीगण इस भूमि को 37 वर्षो से आज तक बहैसियत मालिक काबिज आ रहे है, भू प्रबन्ध ्रेभाग से पूर्व गत ख0न0 296 बडा रकवा था, तथा वादीगण रकवा 24 बीधा 11 बिस्वा को ाश्त करते चले आ रहे है। भूप्रबन्ध के कार्य के दौरान गत खसरा न0 के बटा नंबर कायम देये है, लेकिन भूप्रबन्ध ने सहवन से गलती से वादीगण की हाल ख0न0 679/2307 रकवा 1.01 है0 को राजकीय भूमि अर्थात गै0मु0पहाड दर्ज कर दिया है। जबकि यह भूमि वादीगण के नाम खातेदारी मे दर्ज होनी चाहिये थी, यही गत खसरा न0 296/2 की ही भूमि है, तथा वादीगण के नाम हाल खसरा न0 679/2319 रकवा 0.42 है0, ख0न0 679/0.59 है0 की खातेदारी वादीगण के नाम गलत दर्ज कर दी है, यह भूमि राजकीय दर्ज होनी चाहिये थी, इसके स्थान पर वादीगण के नाम हाल ख0न0 679/2307/1.01 है0 की खातेदारी दर्ज होनी है, तथा किस्म गै0मु0पहाड के स्थान पर बारानी दर्ज होनी है। अतः वादीगण का दावा इन्द्राज दुरूस्ती जमाबन्दी ट्रेस डिक्री किया जाकर ख0न0 679/2307 रकवा 1.01 है0 का किशन हिस्सा 1/20, मानसिह हिस्सा 1/4, मोहनलाल हिस्सा 1/4, योगेन्द्र हिस्सा 1/20, रामकेश हिस्सा 1/20, राहिताश हिस्सा 1/20 तथा 1/4, संतो हिस्सा 1/20 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा किस्म गै0मु0पहाड के स्थान पर किस्म बारानी दर्ज किया जावे, तथा वादीगण के नाम खातेदारी मे दर्ज ख0न0 679/2319 रकवा 0.42 है0 ख0न0 679 रकवा 0.59 है0 को राजकीय भूमि दर्ज की जावे, तथा ख0न0 679/2307 रकवा 1.01 हे0 को गत ख0न0 297/2 को ही भूमि मानी जावे, तथा तहसीलदार टोडाभीम को राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे अमल किया जावे।

वादीगण वकील की बहस पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल ग्राम भण्डारी अन्दरूणी जमाबन्दी सम्वत 2076–79 के खाता न0 209 मे कुल खसरा किता 7 कुल रकवा 6.26 है0 मे वादीगण मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। एवं ख0न0 679/2307 रकवा 1.01 है0 किस्म गै0मु0पहाड राजस्थान सरकार के नाम दर्ज रिकार्ड है। मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043 से 2062 अनुसार ख0न0 219/0.45, 247/1.86, 220/0.36, 679/2.89, 679/2319/0.42, 240/2462/0.13, 359/2575/0.15 कुल किता 7 कुल रकवा 6.26 है0 साबिक ख0न0 296/2 मि0 रकवा

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

4 बीधा 16 बिस्वा से बने है। सायलान द्वारा ख0न0 679/2307 रकवा 1.01 है0 को वादपत्र । साबिक ख0न0 296/1 रकवा 4 बीधा से बनना बताया है लेकिन सायलान द्वारा उक्त वसरा नम्बरान का मिलान क्षेत्रफल पेश नही किया है। व ख0न0 679/2307 रकवा 1.01 की केस्म मुताबिक जमाबन्दी गै0मु0 पहाड दर्ज रिकार्ड है जिसकी किस्म परिवर्तन कर अपने नाम घोषणा खातेदारी का अनुतोष चाहा है। जबकि सायलान द्वारा किस्म गै0मु0पहाड दर्ज होने की स्थिति मे वन विभाग को पक्षकार बनाना चाहिये था, जो वन विभाग को पक्षकार नही बनाया गया है। उक्त विवेचन के अनुसार सायलान का वादपत्र बावत इन्द्राज दुरूस्ती स्वीकार किया जाना उचित नही है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बावत इन्द्राज दुरूस्ती, खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:58:32 IST
Reason: SelfAttested